



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक:- एफ2(3)लागत/1037 (iii)/24

दिनांक : 08/07/2021

-: कार्यालय आदेश :-

मण्डल सम्पत्ति के त्वरित निस्तारण एवं आवासों की लागत में राहत प्रदान करने हेतु, मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दर जो वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में प्रभावी दरें वित्तीय वर्ष 2020-21 (01 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक) के लिए कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1037 (iii)/1412 दिनांक 28.09.2020 द्वारा स्थिर की गयी थी।

वर्ष 2020-21 में की गयी स्थिर दरों को Covid-19 की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए दिनांक 30 सितम्बर 2021 तक स्थिर की जाती है।

उक्त आदेश संचालक मण्डल की अनुमोदन की प्रत्याशा में है।

आवासन आयुक्त

क्रमांक:- एफ2(3)लागत/1037 (iii)/24

दिनांक : 08/07/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 02 निजी सचिव-आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 03 निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 04 अति.मुख्य अभियन्ता-प्रथम/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 05 अति.मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
- 06 मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 07 उप आवासन आयुक्त, वृत्त-....., राजस्थान आवासन मण्डल,
- 08 संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
- 09 आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., राजस्थान आवासन मण्डल,
- 10 सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-....., राजस्थान आवासन मण्डल,
- 11 वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 12 लेखाधिकारी, वृत्त-....., राजस्थान आवासन मण्डल,
- 13 रक्षित फाईल।

वित्तीय सलाहकार